कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट जिला–टीकमगढ़ (म0प्र0)

क्रमॉक 786 /आरडीएम/2019 टीकमगढ़,दिनॉक 19.12.2019

आदेश

(दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन)
(पारित दिनॉक 19.12.2019)

मुझे पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ के पत्र क्रमॉक/पु0अ0/जि0वि0शा0/टीकम0/गोप/1835/19 दिनॉक 19.12.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान् में सी0ए0बी/सी0ए0ए0 के संबंध में देश/प्रदेश में आम जनता द्वारा विरोध एवं प्रदर्शन किये जा रहे है,आम जनता द्वारा किये जा रहे इन विरोध प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए जिला टीकमगढ़ में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से धारा 144 जा0फौ0 लागू किया जाना आवश्यक हैं। अतः पुलिस अधीक्षक,टीकमगढ़ के प्रतिवेदनानुसार जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाने की नितान्त आवश्यकता व्यक्त की गयी हैं।

2. पुलिस अधीक्षक,टीकमगढ़ के अवगत कराये अनुसार कानून एवं व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जिले की धार्मिक/सामाजिक समरसता एवं लोकशांति बनाये रखने तथा जुलूस,जल्सा,रैली इत्यादि समस्या को दृष्टिगत रखते हुए अवैधानिक जमाव/रैली/जुलूस/जल्सा/सोशल मीडिया पर सामाजिक,धार्मिक समरसता को प्रभावित करने वाली पोस्ट किया जाना इत्यादि तथा पर्चा,पम्पलेट वितरण/दीवाल लेखन आदि को प्रतिबंध किया जाना आवश्यक परिलक्षित होता हैं।

3. चूँकि ऊपर वर्णित परिस्थितियों में,पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूँ और लोक शांति बनाये रखने एवं मानव जीवन तथा आमजनता के जान–माल की सुरक्षा बनाए रखने के लिये मेरी राय में जिला टीकमगढ़ के सीमा क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के अवैधानिक जमाव/रैली/जुलूस/जल्सा/सोशल मीडिया पर सामाजिक,धार्मिक समरसता को प्रभावित करने वाली पोस्ट किया जाना तथा पर्चा,पम्पलेट वितरण/दीवाल लेखन आदि को प्रतिबंधित किये जाने के लिये पर्याप्त आधार हैं और उनका निवारण वांछनीय हैं।

अतः मैं हर्षिका सिंह,कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,टीकमगढ़ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लोक शांति बनाए रखने एवं मानव जीवन तथा आम जनता के जान--माल की सुरक्षा हेतु यह आदेश देती हूँ किः–

–जिला टीकमगढ़ के सीमा क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के जमाव/रैली/जुलूस/जल्सा इत्यादि आयोजन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग को बिना प्रशासनिक अनुमति के पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता हैं।
–सोशल मीडिया फेसबुक,व्हाट्सएप,टिविट्र,इन्स्टाग्राम तथा ग्रुप मैसिज पर सामाजिक,धार्मिक समरसता को प्रभावित करने वाली पोस्ट किया जाना इत्यादि तथा पर्चा,पम्पलेट वितरण/दीवाल लेखन आदि को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता हैं।

4. इस आदेश से व्यथित व्यक्ति दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत संबंधित अनुभाग क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा।

5. इस आदेश का व्यापक क्षेत्र एवं प्रभावशीलता होने के कारण उपयोग हेतु व्यक्तिशः सूचित किया जाना संभव नहीं हैं। अतः दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से एवं शासकीय विज्ञप्ति से आदेश संसूचित किया जा रहा हैं।

6. यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है और चूँकि वर्तमान् परिस्थितियों में सर्वसाधारण को सम्यक समय में सुनवाई की जाना संभव नहीं हैं। अतः दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144(2)के अंतर्गत यह आदेश

Scanned by CamScanner

एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है,यह आदेश टीकमगढ़ जिले की समस्त राजस्व सीमा क्षेत्रों के भीतर तत्काल प्रभावशील होगा।

7. यह भी आदेशित किया जाता है कि,इस आदेश की सूचना संबंधित क्षेत्र में सर्वसाधारण को ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा दी जावे एवं आदेश की एक प्रति इस कार्यालय के सूचना पटल,जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायव तहसीलदारों,मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/नगर पालिका/पंचायत एवं समस्त थाना के कार्यालयों के सूचना पटल पर भी चस्पा की जावें। आदेश की प्रति ग्राम के सह दृष्टिगोचर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जावे।

8. यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध भा0द0सं0 के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा।

यह कि उक्त आदेश सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न कार्यपालक मजिस्ट्रेटों/पुलिस कर्मियों/अर्धसैनिक बलों,विशेष पुलिस अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

यह आदेश दिनॉक 19.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

उक्त आदेश आज दिनॉक 19.12.2019 शाम 5.00 बजे से आगामी आदेश तक के लिये प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा ।

19/12/2019

(हर्षिका सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट,
टीकमगढ़

पृ0क्रमॉक 786/आरडीएम/2019 टीकमगढ़,दिनॉक 19.12.2019

प्रतिलिपिः–

1. कमिश्नर,सागर संभाग,सागर म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. पुलिस महानिरीक्षक,सागर जोन सागर (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।
3. उप पुलिस महानिरीक्षक,छतरपुर रेंज,छतरपुर (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक,टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिला टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
7. अनुविभागीय मजिस्ट्रेट,टीकमगढ़/जतारा/वल्देवगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) टीकमगढ /जतारा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त तहसीलदार/नायव तहसीलदार एवं कार्यपालन मजिस्ट्रेट, जिला टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. सहायक संचालक,जनसंपर्क,टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं समस्त दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

19/12/2019

जिला मजिस्ट्रेट,
टीकमगढ़

Scanned by CamScanner